

डाक ब्रावित संख्या १९५७/८५४/०१

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग—१

दिनांक १२/२/२००८

संख्या— 16/XXXVI(1)-एक-07-184/2001-टी०सी०-१
देहरादून : दिनांक 12 फरवरी, 2007

अधिसूचना

उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं० 52) की धारा-६ की उपधारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल तत्काल प्रभाव से "उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" का नाम परिवर्तित करके "उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" करते हैं।

आज्ञा से,

महेश्वरी
(आर०डी०पालीवाल)
सचिव,

संख्या— 16/XXXVI(1)-एक-07-184/2001-टी०सी०-१ तददिनांक

प्रतिलिपि—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-४ खण्ड (ख) परिनियम आदेश में प्रकाशित करने का कष्ट करें और अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियां अनुभाग को भी भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

↗
(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,

संख्या— 16/XXXVI(1)-एक-07-184/2001-टी०सी०-१ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— महानिबन्धक, मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- २— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- ३— समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड ।
- ४— सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ।
- ५— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- ६— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
- ७— सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- ८— एन.आई.सी./गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

२०२
(एम० एम० सेमवाल)
अनुसचिव,

C/ee
✓

In pursuance of the provisions of clause (3) of /Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.16 /XXXVI(1)/2007 dated 12 Febuary, 2007 for general information.

Uttarakhand Government
Law Section-1
No. 16 /XXXVI(1)/2007-184/2001-T.C-1
Dehradun, Dated 12 Feb, 2007

Notification

In exercise of the powers conferred by Sub-section(1) of Section -6 of the Uttaranchal (Alteration of name) Act, 2006 (Act No. 52 of 2006) ,the Governor is pleased to alter the name of Uttaranchal State Legal Service Authority is to "Uttarakhand State Legal Service Authority " with immediate effect.

By Order,

R.D.Paliwal
(R.D.Paliwal)
Secretary,

दस्तावेज़ संख्या 1924/SCSA/07

दिनांक 17-2-2007

संख्या २० /XXXVI(1)/2007-2(न्याय) /07

प्रेषक,

एमोएमो सेमवाल,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

- 1— महाधिवक्ता उत्तराखण्ड
मार्ग उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।
- 3— निबन्धक
लोक सेवा अधिकरण,
देहरादून ।
- 5— समस्त जिला न्यायाधीश,
उत्तराखण्ड ।

2— सदस्य सचिव
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
एफोटी०सी० भवन, प्रथम तल
न्यायालय परिसर, देहरादून ।

4— महाप्रशासक
233/5 नया बाजार
तल्लीताल, नैनीताल ।

न्याय अनुमाग-1

देहरादून : दिनांक 12 फरवरी, 2007

विषय— उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2006 के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह में उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड किया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, समान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या— 95 / XXXI(13)G/07-38(12)/2007 दिनांक 07 फरवरी, 2007 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र के आलोक में कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नक— यथोक्त ।

भवदीय,

दृष्टि
(एमोएमो सेमवाल)
अनु सचिव,

5/24

मिसांग

एस० राजू
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सीधा मे.

- 1.अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2.राजस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 4.रामस्त विभागाध्यक्ष/आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 5.रामस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

SL-9

सामान्य प्रशासन विभाग

विषय: उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2006 के पृष्ठत होने के फलरर्यलप उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह में उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र रांख्या-01/ XXXI(13)G/2007-22(1)/06 दिनांक 03 जनवरी, 2007 एवं पत्र रांख्या-08/XXXI(13)G/2007 दिनांक 05 जनवरी, 2007, 04/रीयस०/XXXI(13)G/2007-22(1)/2006 दिनांक 19 जनवरी, 2007 के कम में युझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध समरत अभिलेखों/निगमों/परिषदों/संस्थाओं/बोर्डों/ नाम पटिका/मोहर/लेटर पैड/साईन बोर्ड आदि में आदि में जहाँ-जहाँ उत्तरांचल शब्द अकित है, उसके स्थान पर उत्तराखण्ड शब्द तत्काल उल्लिखित कर दिया जाय।

अतः उक्त शासनादेशों की ओर पुनः आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह में उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड का प्रयोग तत्काल किया जाना सुनिश्चित करने का काट करें।

भवदीय

८०.
(एस० राजू)
सचिव।

संख्या-१५ (1) / / XXXI(13)G/07-38(12)/2007 तददिनांकित-

"प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1.प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2.सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3.सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 4.महान्मिष्टन्धक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 5.गहालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग माजारा, देहरादून।
- 6.सचिव, लोक सेवा आयोग, कनखल, हरिद्वार।
- 7.स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 8.सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं परिषद रामनगर, नैनीताल।
- 9.स्थानिक आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
- 10.पुनर्गठन कार्यालय, उत्तराखण्ड, लखनऊ।
- 11.सचिवालय के समरत अनुभाग।
- 12.प्रार्थ फाइल।

आज्ञा से

८०.
(क०एस०विल्ड)
उप राचिव।